राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— एफ.4(ई)(1)(6)/विनि.क्षेत्र./अलेसे—III/ 8100—8140 दिनांक 22.05.15

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषय :— विनिर्दिष्ट अधिसूचित क्षेत्र में सेवाऐ देने के संबंध में लेखाकर्मियों से प्राप्त विकल्प पत्र भिजवाने बाबत्।
संदर्भ :— इस विभाग की विज्ञप्ति एफ.4(ई)(1)(6)/विनि.क्षेत्र./अलेसे—III/(2203—7266 दिनांक 05.05.2015 ।

विषयान्तर्गत लेख है कि विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 की अनुपालना में विभाग की संदर्भित विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सेवाऐं देने हेतु विकल्प से शेष रहे लेखाकर्मियों के विकल्प पत्र कोषाधिकारियों के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे। उपरोक्त विज्ञप्ति में विकल्प से शेष रहे लेखाकर्मियों द्वारा अपना विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष से अग्रेषित करवाकर दिनांक 15.05.2015 तक संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे तथा संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा उक्त प्रकार प्राप्त विकल्प पत्रों को दिनांक 22.05.2015 तक इस विभाग में भिजवाया जाना था। किन्तु इस संबंध में आपके जिले से विकल्प पत्र प्राप्त होने की कोई सूचना विभाग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः आप अपने जिले में कार्यरत लेखाकर्मियों (क.लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I/II) से प्राप्त विकल्प पत्रों को इस विभाग को दिनांक 25.05.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—III)

क्रमांकः— एफ.4(ई)(1)(6)/विनि.क्षेत्र./अलेसे—III/ 8100—8140 दिनांक 22.05.2015

प्रतिलिपि :— उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक—III)